शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 69/368/52-1-2014-21(एम.एस.डी.पी.)/13

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 05 फरवरी, 2014

विषय- भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर हेतु नेत्र चिकित्सलाय के उच्चीकरण हेतु उपकरणों के क्रय का कार्य चिकित्सा विभाग से कराने के सम्बन्ध में नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-1975/52-1-2013-21(एम0एस0डी0पी0) /13,दिनांक 10.05.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर में कतिपय योजनाओं हेतु सी0एण्ड डी0एस0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 63.195 लाख की धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 □□□□ के निवर्तन पर रखी गयी थी।

2- □□□□ पत्र संख्या-4703/□0□0□0/2013-14, दिनांक 23.01.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय नेत्र चिकित्सालय, नजीबाबाद के लिए स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 13.95 लाख से उक्त चिकित्सालय में उपकरणों का क्रय किया जाना है। अतः उक्त धनराशि मुख्य चिकित्साअधिकारी बिजनौर को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया □□

3- उक्त वर्णित स्थिति में यह दृष्टिगत रखते हुए कि अब उक्त धनराशि का प्रयोग उपकरणों के क्रय हेतु किया जा , शासनादेश संख्या-1975/52-1-2013-21(□□0□□0डी0□□0) /13,दिनांक 10.05.2013 द्वारा विभिन्न योज□□ □ □□□□□□□ स्वीकृत धनराशि रू0 63.195 □□ में से राजकीय नेत्र चिकित्सालय, नजीबाबाद के लिए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 13.95 □□ आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.nic.in

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□□

संख्या 368 (1)/52-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- □□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) □0प्र0 □□□□□□□□

2- बजट अधिकारी, वित्त विभाग।

3- प्रमुख सचिव/□□□□, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्यों को कराने हेतु अपने स्तर से भी अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

4- □□□□□, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त उपकर□ का क्रय निर्धारित मानकों एवं क्रय नीति के आधार पर ही कराने का कष्ट करें।

5- मुख्य चिकित्साअधिकारी, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त उपकरणों का क्रय निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाय तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रख□ जाय यदि इस सम्बन्ध में कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो न्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6- □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , □0प्र0 □□□□□

7- □□□□□, □□0एण्ड डी0□□0 को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त परियोजना की धनराशि जिलाधिकारी, बिजनौर को तत्काल हस्तानान्तरित करने का कष्ट करें।

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण□ □□कारी, बिजनौर को भी इस निर्देश के साथ भी प्रेषित कि कृपया इसका प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

9- मुख्य कोषाअधिकारी, □□□□□ □□□ □□□□/कोषाअधिकारी, बिजनौर।

10- वित्त (आ□-व्ययक□) □□□□□-1 एवं वित्त-ई-11□

11- लेखाअधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □□□□ □□ □□ □□□ से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति विभाग की वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□□

http://gnasanadesh.up.nic.in